रजिस्ट्री सं० बी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 1974/अग्रहायण 11, 1896
No. 311] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 1974/AGRAHAYANA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1974

G.S.R. 677(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 23 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the 12th January, 1975.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1974.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules)

after rule 44D, the following rule shall be inserted, namely:—

"44EE—*Restriction on the sale of Kangra Tea.*—Kangra tea shall be sold only after it is graded and marked in accordance with the provision of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the rules made thereunder."

3. In appendix B of the said rules—

(i) after item A.14, the following item shall be inserted, namely:—

"A.14.01: 'Kangra tea' means tea derived exclusively from the leaves, buds and tenderstems of plants of the camellia sinensis or tea sinnensis grown in Kangra and Mandi Valleys of Himachal Pradesh. It shall conform to the following specifications, namely:—

(a) Total ash determined on tea dried on a constant weight at 100° C.	4.5 to 9.0 per cent.
(b) Total ash soluble in boiling distilled water.	Not less than 34 per cent of total ash.
(c) Ash insoluble in dilute HCL	Not more than 1.2 per cent.
(d) Extract obtained by boiling dry tea (dried at constant weight at 100° C) with 100° parts of distilled water for one hour under reflex	Not less than 23 per cent.
(e) Alkanity of soluble ash	Not less than 1.0 per cent and not more than 2.2 per cent, expressed as K_2O.
(f) Crude fibre determined on tea dried to a constant weight at 100° C.	Not more than 18.5 per cent.

It shall not contain any added colouring matter.

Provided that if tea is sold or offered for sale without any indication as to whether it is Kangra tea or not, the standards of quality of tea prescribed in item A.14 shall apply."

[No. P. 15018/4/72-P.H.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 677 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम जिसे केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के परामर्श के पश्चात् जिसे बनाने की प्रस्थापना करती है, का निम्नलिखित प्रारूप ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर 12 जनवरी, 1975 को या पश्चात् विचार किया जाएगा ।

कोई आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त होगा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्राक्पित नियम

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहे गए हैं) नियम 44 (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"44.ङ. कांगड़ा चाय के विक्रय पर निर्बंधन

कांगड़ा चाय कृषि उपज (श्रेणीकरण और अंकन) अधिनियम, 1937(1937 का 1) तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणीकरण करने तथा अंकित करने के बाद ही कांगड़ा चाय बेची जाएगी ।

3. उक्त नियम के परिशिष्ट ख में मद क. 14 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"क-14-01—'कांगड़ा चाय' से हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और मण्डी घाटियों में उगाई गई कमेलिया वंश या चाय जाति के पौधों के पत्तों, कलियों और कोमल तनों से अनन्य रूप से प्राप्त चाय अभिप्रेत है । यह निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगी :—

(क) नियत भार के 100 डिग्री सें० पर सुखाई गई चाय पर अवधारित कुल भस्म	4.5 से 9.0 प्रतिशत
(ख) क्वथित आसवित जल में घुलनशील	कुल भस्म के 34 प्रतिशत से अन्यून ।
(ग) एचसीएल में अघुलनशील	1.2 प्रतिशत से अनधिक ।
(घ) पश्यबाही के अधीन एक घण्टे के आसवित जल में शत-प्रतिशत भागों के साथ (नियत भार में 100 डिग्री सेण्टीग्रेट पर सुखाई गई) सूखी चाय के क्वथन द्वारा अभिप्राप्तसार	23 प्रतिशत से अन्यून ।
(ङ) घुलनशील भस्म की क्षारता	के 2° के रूप में अभिव्यक्त 1 प्रतिशत से अन्यून और वह 2.2 से अनधिक ।
(च) नियत भार में 100 डिग्री सेण्टीग्रेड पर सुखाई चाय पर अवधारित कच्चे लेशे	18.5 प्रतिशत से अनधिक ।

इसमें कोई रंग वाला पदार्थ नहीं अन्तर्विष्ट होगा ।

परन्तु यदि चाय बिना किसी ऐसे संकेत के हो कि यह कांगड़ा चाय है या नहीं; विक्रय की जाती है या विक्रय के लिए रखी जाती है तो मद क्र०—14 में विहित क्वालिटी के मानक लागू होंगे।

[सं० पी० 15018/4/73-पी० एच०]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974